उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 26/2015/ 558 /अड़तीस-9-15-04(बजट)/14

लखनऊ : दिनांक- 22 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-24/2015/519/अड़तीस-9-15-02(बजट)/13, दिनांक-03 जून, 2015 के संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-21 में टंकण त्रुटिवश निम्नवत् अंकन हुआ है:-

क्र0 सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
21	श्री प्रदीप जाटव	उ0प्र0 विधान सभा	बुलन्दशहर	100.00

उक्त को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 के संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-21 निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
21	श्री प्रदीप जाटव	उ0प्र0 विधान सभा	गाजियाबाद	100.00

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के उप-प्रस्तर-4 में टंकण त्रुटिवश निम्नवत् अंकन हुआ है:-

"30 जनवरी 1921 तक कार्यकाल के लिये नव-निर्वाचित 12 मा0 सदस्यों"

उक्त को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 के प्रस्तर-1 के उप-प्रस्तर-4 को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

"30 जनवरी 2021 तक कार्यकाल के लिये निर्वाचित 12 मा0 सदस्यों"

3- उक्त के अतिरिक्त डा0 अशोक बाजपेयी, मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक-17.06.2015 द्वारा शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 के विधान परिषद के मा0 सदस्यों की सूची (ब) के क्रमांक-5 पर अंकित नोडल जनपद हरदोई को नोडल जनपद लखनऊ किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में मा0 सदस्य की अपेक्षानुसार उनके नोडल जनपद हरदोई को परिवर्तित कर जनपद लखनऊ करके शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 के संलग्न सूची (ब) के क्रमांक-5 के संशोधन के उपरान्त इसे निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
5	डा0 अशोक बाजपेयी	उ0प्र0 विधान सभा	लखनऊ	100.00

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- शासनादेश संख्या-545/38-9-2015-04(बजट)/2014, दिनांक-10.06.2015 द्वारा पूर्व में किये गये संशोधन और उक्त संशोधनों के अतिरिक्त उक्त शासनादेश 03 जून, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

संख्या- 26/2015/558 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
14- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।